घरेलू व पारिवारिक हिंसा

NSW पुलिस दल घरेलू व पारिवारिक हिंसा के शिकार लोगों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है और जो लोग घरेलू व पारिवारिक हिंसा का जुर्म करते हैं उनको गिरफ़्तार करेगी।

घरेलू व पारिवारिक हिंसा एक शर्मनाक जुर्म है जो पूरे NSW में अत्यधिक पारिवारों की सुरक्षा, कुशलक्षेम व सुख को नष्ट करता है।

घरेलू व पारिवारिक हिंसा क्या है?

घरेलू व पारिवारिक हिंसा का जुर्म करने का अर्थ होता है कि दो ऐसे व्यक्ति जिनमें पारिवारिक संबंध हैं या थे, उनमें से एक, दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत हिंसा का जुर्म करता है।

घरेलू व पारिवारिक हिंसा एक तरह का बार-बार किया जाने वाला व्यवहार है, जिसमें शामिल है: शारीरिक या यौन हमला, गाली-गलौच व लज्जित करना, सामाजिक रूप से अकेला छो. ड देना, पैसे से वन्चित कर देना, भावनात्मक दुर्व्यवहार करना, धमकी देना व डराना, तंग व पीछा करना। आमतौर पर, घरेलू व पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाएँ होती हैं और हिंसा करने वाले पुरुष होते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि घरेलू हिंसा एक समान लिंग वाले लोगों व अन्य घरेलू संबंधों में नहीं होती।

यह अपराधिक हमले तक ही सीमित नहीं है। इसमें किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार के कारण, भयभीत होना व धमकी से डरना भी शामिल हैं जो बहुत लोग अनुभव करते हैं, विशेष कर महिलाएँ व बच्चे।

किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह आपके साथ ऐसा कुछ करे। घरेलू व पारिवारिक हिंसा के लिए कोई भी बहाना नहीं माना जा सकता।

जो व्यक्ति घरेलू व पारिवारिक हिंसा का काम करता है, वह इनमें से कोई भी हो सकता है:
- **पति/पत्नी**
- **जीवन साथी या पूर्व जीवन साथी**
- **वस्तुत: पति/पत्नी (de facto)**
- **परिवार का सदस्य**
- **देख-भाल कर्ता या उसी घर में रहने वाला कोई व्यक्ति**

इसके लिए क्या किया जा सकता है?

न्यू साऊथ वेल्ज़ का कानून, पुलिस व न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि आपको तुरन्त सुरक्षा प्रदान की जाए, किसी भी समय, दिन हो या रात। यदि आपको धमकाया जा रहा है या आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिन्तित हैं तो **तीन बार शून्य (000)** को फ़ोन करें।

जो व्यक्ति आपके प्रति हिंसा करता है या आपको धमकाता है, या आपकी संपत्ति में तोड़फोड़ करता है, पुलिस उसे हिरासत में ले कर अभियोग लगा सकती है। वे आपकी तरफ़ से आशंकित घरेलू हिंसा आदेश (Apprehended Domestic Violence Order - ADVO) के लिए आवेदन-पत्र दे सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में होने वाली धमकियों तथा/या हिंसा से बचाया जा सके। बच्चों व घरेलू व पारिवारिक हिंसा के शिकार लोगों को अधिकार है कि वे अपने घर में सुरक्षा से रह सकें।

ADVO, आपको भविष्य में होने वाले ख़तरे से बचाने के लिए, न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है। इस आदेश में रोक आदेश (Exclusion Order) भी शामिल है जो दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को घर वापस आने से वर्जित करता है। जिस व्यक्ति से आपको डर है, ADVO उसके व्यवहार पर रोक लगाता है इस व्यक्ति को प्रतिवादी कहा जाता है।

घरेलू व पारिवारिक हिंसा के विषय में अधिक जानकारी के लिए **www.police.nsw.gov.au** पर देखें।

CRIME STOPPERS
1 800 333 000
www.crimestoppers.com.au

पुलिस, आग लगना, ऐमबुलैन्स
तीन बार शून्य (000)
आपात स्थिति में

Crime Stoppers
1800 333 000
जुर्म के बारे में गुप्त रूप से सूचना दें

NSW Police Force
www.police.nsw.gov.au

Hindi

घरेलू व पारिवारिक हिंसा

आशंकित घरेलू हिंसा आदेश

आशंकित हिंसा आदेश (Apprehended Violence Order - AVO) क्या होता है?

AVO एक आदेश है जो आपको हिंसा, धमकियों तथा तंग करने (उत्पीड़न) से बचाता है। AVO दो प्रकार के होते हैं – Apprehended Domestic Violence Orders (ADVO's) तथा Apprehended Personal Violence Orders (APVO's).

ADVO न्यायालय द्वारा दिया गया एक आदेश है जो आपको आपके पति/पत्नी, वस्तुत: पति/पत्नी (de facto partner), पूर्व जीवन साथी, परिवार का सदस्य, देख-भाल कर्ता या उसी घर में रहने वाले किसी व्यक्ति की हिंसा, धमकियों तथा तंग करने (उत्पीड़न) से बचाता है। APVO न्यायालय द्वारा दिया गया एक आदेश है जो आपको ऐसे व्यक्ति की हिंसा, धमकियों तथा तंग करने (उत्पीड़न) से बचाता है जिससे आपका घरेलू या पारिवारिक संबंध नहीं है।

यह तथ्य-पत्र केवल ADVO के बारे में बताता है।

यदि आपको अपनी सुरक्षा का खतरा है तो आप अपने घरेलू हिंसा के भय व अनुभव पुलिस को बता सकते हैं और पुलिस अधिकारी आपकी ओर से ADVO के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि पुलिस अधिकारियों को शक है या उनका मानना है कि आपके ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा, बाल दुर्व्यवहार या पीछा करने/धमकाने का जुर्म किया गया है या किया जा सकता है तो उनके लिए ADVO के लिए आवेदन करना **अनिवार्य** है।

जिस व्यक्ति से आपको डर है (जिसको प्रतिवादी कहा जाता है), ADVO द्वारा प्रतिबन्ध लगा कर उसके व्यवहार पर रोक लगाता है। यह प्रतिबन्ध इस प्रकार हो सकते है:

- आपके ऊपर हमला, उत्पीड़न या धमकी देना, पीछा करना या डराना निषेध है,
- जो स्थान आपका है या जहाँ काम करते हैं वहाँ पर प्रवेश, रहना या जाना निषेध है,
- आपसे सीधे या तृतीय पक्ष द्वारा संपर्क करना निषेध है ।

यदि आवश्यकता हो तो अन्य प्रतिबन्ध भी लगाए जा सकते हैं। न्यायालय व NSW पुलिस दल, न्यायालय द्वारा दिए गए ADVO व उसमें लगाए गए प्रतिबन्धों का रिकॉर्ड रखते हैं।

यह आवश्यक है कि आप अपने ADVO की प्रतिलिपि हमेशा अपने पास रखें। यदि प्रतिवादी ADVO के प्रतिबन्धों का पालन नहीं करता तो इसको उल्लंघन कहते है। यदि प्रतिवादी ADVO के किसी भी प्रतिबन्ध का उल्लंघन करता है तो पुलिस को बुलाएँ। पुलिस उल्लंघन की जाँच करेगी और यदि उल्लंघन के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं तो प्रतिवादी पर ADVO के उल्लंघन का जुर्म लगाया जाएगा।

केवल न्यायालय ही ADVO को बदल सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि ADVO के प्रतिबन्ध आपकी विशेष परिस्थितियों के अनुकूल हों। आप या पुलिस ADVO के प्रतिबन्धों को बदलने या निकालने और यदि आपको प्रतिवादी का डर अभी भी है तो आप उसके समाप्त होने की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए न्यायालय में आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

तात्कालिक सुरक्षा

यदि तात्कालिक सुरक्षा की आवश्यकता हो तो अल्पकालिक आदेश (या अस्थाई) ADVO के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। आपकी तात्कालिक सुरक्षा के लिए अस्थाई ADVO के लिए पुलिस अधिकृत न्यायकर्त्ता के द्वारा दिन के 24 घंटे कभी भी आवेदन कर सकती है। आपको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने के लिए इस ADVO से किसी व्यक्ति के व्यवहार पर रोक लगा सकती है, जब तक की मामले की सुनवाई न्यायालय में नहीं होती।

CRIME STOPPERS
1 800 333 000
www.crimestoppers.com.au

पुलिस, आग लगना, ऐमबुलैन्स
तीन बार शून्य (000)
आपात स्थिति में

Crime Stoppers
1800 333 000
जुर्म के बारे में गुप्त रूप से सूचना दें

NSW Police Force
www.police.nsw.gov.au

घरेलू व पारिवारिक हिंसा

क्या प्रतिवादी को ADVO से फौजदारी अपराधी का रिकॉर्ड मिलता है?

नहीं। ADVO प्रतिवादी को फौजदारी अपराधी का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ADVO पुलिस कमप्यूटर तंत्र पर समाप्ति तिथि के साथ रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जो प्रतिवादी ADVO का उल्लंघन करता है और उसे न्यायालय में गुनहगार पाया जाता है तो उसे फौजदारी अपराधी का रिकॉर्ड मिल सकता है।

क्या आपको न्यायालय जाने की आवश्यकता है?

हाँ। आपके लिए न्यायालय जाना आवश्यक है जिससे मजिस्ट्रेट ADVO देने का निर्णय ले सके।

क्या प्रतिवादी को बताया जाएगा कि ADVO के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है?

हाँ। कुछ परिस्थितियों में अधिक पूछ-ताछ के लिए पुलिस को प्रतिवादी से संपर्क करना आवश्यक होता है। पुलिस द्वारा प्रार्थना-पत्र देने के बाद, न्यायालय प्रतिवादी के लिए सम्मन जारी करेगा कि किसी विशेष दिन न्यायालय आकर शिकायतों का जवाब दे। पुलिस सम्मन के साथ शिकायत की एक प्रतिलिपि भी प्रतिवादी को भेजेगी।

क्या ADVO मेरे बच्चों की सुरक्षा करेगा?

बच्चे घरेलू व पारिवारिक हिंसा से प्रभावित होते हैं और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। आपके बच्चे आपके ADVO में सम्मिलित हो सकते हैं या उनके लिए अलग प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

यदि बच्चा 16 वर्ष से छोटा है तो केवल पुलिस अधिकारी ही AVO के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है। जो 16 वर्ष से अधिक हैं वे अपने लिए अपने आप AVO के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

ADVO में बताया जा सकता है कि प्रतिवादी बच्चों के पास न जाए। परन्तु, यदि परिवार कानून के कोर्ट ने माता-पिता के लिए आदेश या आज्ञापत्र जारी किया है जिसमें प्रतिवादी को बच्चों से मिलने की अनुमति है तो यह प्रार्थना-पत्र की शर्त्तों को रद्द कर सकता है।

यदि परिवार कानून आदेश (Family Law Order) के अंतर्गत प्रतिवादी को बच्चों से मिलने की अनुमति है, और आपका मानना है कि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो सलाह के लिए आपको वकील से या परिवार कानून न्यायालय (Family Law Court) से संपर्क करना चाहिए।

आपका न्यायालय जाने का दिन

जिस दिन आपको न्यायालय जाना होगा वह तिथि ADVO प्रार्थना-पत्र पर होती है। न्यायालय में क्या होता है व आपको क्या करना होगा, इस बारे में आप जानना चाहेंगे। सहायता के लिए अपने समीपतम पुलिस स्टेशन के घरेलू हिंसा संपर्क अधिकारी (Domestic Violence Liaison Officer) से संपर्क करें जो आपकी सहायता करेगा और आपको अन्य सेवाओं के पास भेजेगा।

जानकारी के लिए जिस स्थानीय न्यायालय आप जाएँगे, उसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अधिकतर स्थानीय न्यायालयों में घरेलू हिंसा न्यायालय सहायता सेवा होती है जो आपको जानकारी प्रदान करेगी ।

Hindi

घरेलू व पारिवारिक हिंसा

घरेलू व पारिवारिक हिंसा की रिपोर्ट कैसे करें?

यदि आप एकदम खतरे में हैं तो तीन बार शून्य (000) को . फोन करें। जब आप तीन बार शून्य (000) को फ़ोन करेंगे तो ऑपरेटर आपसे पूछेगा कि कौनसी सेवा चाहिए। बस केवल ‘Police’ कहें. जब आपको मिला दिया जाए तो लाईन पर ही रहें और जितनी भी जानकारी आप दे सकते हैं वह ऑपरेटर को दें। यदि आप किसी स्थिर फ़ोन से बात कर रहे हैं और सुरक्षा के कारण आपको जाना पड़ेगा तो फ़ोन का माऊथपीस हुक पर वापस न रखें।

जब एकदम खतरा न हो और आपको मदद या सलाह चाहिए तो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। यदि शुरू में आप पुलिस से बात नहीं करना चाहते तो DoCS की घरेलू हिंसा लाईन (DoCS Domestic Violence Line) को दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन कभी भी 1800 656 463 पर फ़ोन करें।

यह आवश्यक है कि जब आप पुलिस से बात करें तो उनको बताएँ कि क्या हुआ है और जो भी डर आपको हैं उसके बारे में ठीक से बताएँ। यदि आपका मानना है कि इस व्यक्ति के पास बन्दूक आदि अन्य हथियार हैं या उसको मिल सकते हैं तो पुलिस को यह भी बताएँ।

यदि आप घरेलू व पारिवारिक हिंसा का हादसा देखते हैं या आपको जानकारी है तो आपात स्थिति में तीन बार शून्य (000) को फ़ोन करें। ग़ैर-आपात स्थिति में स्थानीय पुलिस या Crime Stoppers को 1800 333 000 पर फ़ोन करें। Crime Stoppers 24 घंटे की सेवा है और आप उनको जुर्म के बारे में गुप्त रूप से सूचना दें सकते हैं।

सहायता सेवाएँ

NSW के पुलिस दल में 100 से अधिक घरेलू हिंसा संपर्क अधिकारी (Domestic Violence Liaison Officers - DVLO) हैं जो घरेलू व पारिवारिक हिंसा के मामलों के विशेषज्ञ हैं।

घरेलू हिंसा संपर्क अधिकारी निम्नलिखित कर सकते है:

- सुनिश्चित करना कि ADVOs से संबंधित कानूनी कार्यवाही के विषय में आपको सही-सही जानकारी मिले
- आपके अधिकारों को स्पष्ट करना तथा आपके प्रश्नों के उत्तर देने
- आपके साथ न्यायालय जाना
- आपकी आवश्यकतानुसार आपको विशेषज्ञ स्थानीय सेवाओं से मिलवाना

संपर्क 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन

DoCS Domestic Violence Line
DoCS की घरेलू हिंसा लाईन
- दूरभाष 1800 656 463 (नि:शुल्क)
- TTY 1800 671 442*
- www.community.nsw.gov.au

Victims Support Line
जुर्म के शिकार लोगों के लिए सहायता लाईन
- सिडनी शहर (02) 9374 3000
- दूरभाष NSW 1800 633 063 (नि:शुल्क)
- TTY 9374 3175*
- www.lawlink.nsw.gov.au

NSW Rape Crisis Centre
NSW बलात्कार संकट केन्द्र
- दूरभाष 1800 424 017
- www.nswrapecrisis.com.au

Women's Health Centres
महिला स्वास्थ्य केन्द्र
- www.whnsw.asn.au

DoCS Helpline
DoCS सहायता फ़ोन लाईन
- दूरभाष 132 111
- TTY 1800 212 936*

Law Access NSW
(सुबह 9 बजे - सांय 5 बजे, सोम से शुक्र)
- दूरभाष 1300 888 529
- www.lawaccess.nsw.gov.au

*TTY (श्रवण दोष से पीड़ित लोगों के लिए)।

CRIME STOPPERS
1 800 333 000
www.crimestoppers.com.au

पुलिस, आग लगना, ऐमबुलैन्स
तीन बार शून्य (000)
आपात स्थिति में

Crime Stoppers
1800 333 000
जुर्म के बारे में गुप्त रूप से सूचना दें

NSW Police Force
www.police.nsw.gov.au